आई. एम. एस. एक्ट के अंतर्गत किस पर पाबंदी है।

आई. एम. एस. एक्ट क्यों ?

व्यवसायिक कंपनियों के उत्पादों की बिक्री के असंगत प्रयास विशेषकर शिशु दूध पूरक एवं शिशु आहार जहाँ एक और स्तनपान को समाप्त करता हैं वही शिशु के बीमार होने की दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को बढ़ावा देता है। यह एक सर्वविदित तथ्य हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में फार्मूला आहार बच्चों में कुपोषण एवं मृत्यु को निश्चित रुप से आंमत्रित करता है। भारत सरकार ने इसे एक बड़ी समाज से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या मानते हुए एक कानून बनाया जिसका नाम शिशु दूध पूरक, दूध की बोतल एवं शिशु आहार (निर्माण, आपूर्ति एवं वितरण) नियम 1992, संशोधित अधिनियम 2003 है जिसे संक्षेप में आई. एम. एस. एक्ट भी कहा जाता है। इस कानून के द्वारा शिशु दूध पूरक, दूध की बोतल एवं शिशु आहार के निर्माण, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित किया जाता है। इस कानून के बावजूद, शिशु आहार उत्पादनकर्त्ता इस कानून की कमियों को ढूढ़ने में प्रयासरत रहते हैं जिससे कि इन उत्पादों की बिक्री को बढ़ाया जा सके एवं माताओं के स्तनपान कराने के आत्मविश्वास मे कमी लायी जा सके जिससे कि वह घरेलू एवं प्राकृतिक शिशु आहारो को भूल कर बाजार में बिकने वाले इन शिशु आहारो की ओर आकर्षित हो।

भारतीय स्तनपान प्रोत्साहन नेटवर्क (बी. पी. एन. आई.) जो कि देश में स्तनपान प्रोत्साहन, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संकल्पित है, ने शिशु दूध पूरक, दूध की बोतल एवं शिशु आहार संशोधित अधिनियम 2003 की व्याख्या कर इसके प्रमुख बिंदुओ को सरल भाषा में उजागर किया गया है जिससे कि आमजन को यह जानकारियाँ समझने में आसानी हों।

1. दो वर्ष तक की उम्र के बच्चे हेतु बने समस्त शिशु आहार के प्रोत्साहन की पाबंदी।

प्रोत्साहित करने से तात्पर्य ऐसे समस्त प्रकार के सीधे एवं अनपेक्षित प्रयासो से है जो कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के पदार्थ को क्रय करने हेतु उकसाते हो। अधिकतर कंपनियाँ सीधे तौर पर शिशु आहारों को परिवारों में प्रोत्साहित करती हैं अथवा स्वास्थ्य तंत्र में प्रवेश कर चिकित्सकों अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रोत्साहन कराया जाता है।

उदाहरणार्थ एक चिकित्सक के द्वारा आवश्यकता का आकलन किए बिना शिशु आहार के पर्चे लिख देना। यह कानून शिशु आहारों की बिक्री व दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रयोग बढ़ाने की कोशिशों पर पाबंदी लगाता है।

2. संचार माध्यमों में विज्ञापन देने पर पाबंदी।

संचार माध्यमों में उत्पादों का प्रचार प्रसार आज के युग मे उत्पाद बेचने का सबसे आसान माध्यम हैं विशेषकर कि पत्रिकाओं, समाचार पत्र एवं टेलीविजन के द्वारा जिसकी प्रत्येक घर में पहुँच हैं यह कानून ऐसी कपंनियो के समस्त प्रकार के विज्ञापन पर रोक लगाता है जिसमें निम्न माध्यम सम्मिलित हैं –

- छपाई वाले माध्यम जैसे– समाचार पत्र, पत्रिकायें, पोस्टर्स एवं हैंडबिल आदि।
- इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसे– रेड़ियो, टेलीविजन, केबल टी.वी. मोबाइल फोन (एस. एम. एस.) आदि।
- किसी अन्य माध्यम से।

3. महिलाओं एवं स्वास्थ्य सेवाएं देने वालों को उपहार एवं मुफ्त नमूने देने पर पांबदी।

गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिलाओं के मानस को प्रभावित करने हेतु

कंपनियों द्वारा महिलाओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उपहार एवं मुफ्त नमूने दिए जाते रहे हैं।

वर्तमान मे शिशु आहार, शिशु दूध पूरक एवं दूध की बोतलो के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुयें जैसे– साबुन, बर्तन, तेल आदि को निशुल्क देने का प्रचलन बढ़ गया है। जिसके द्वारा कंपनियां जहाँ अपने लिए नये ग्राहक बना रही हैं वही इस प्रकार के उत्पादों को घर–घर पहुँचाकर माताओं के दूध पिलाने की प्रवृत्ति को क्षीण कर रही हैं।

4. शैक्षणिक सामग्री, उपकरण अथवा शिशु आहार का दान देने पर पांबदी।

शिशु आहार बनाने वाली कंपनियो द्वारा बनायी गयी अथवा प्रायोजित

शैक्षणिक सामग्री अधिकतर या तो स्तनपान हेतु भ्रमित करने वाली जानकारी देती है अथवा स्तनपान के महत्व को दुर्बल करती हैं। इस कानून में महिलाओ को एवं स्वास्थ्य तंत्र से सीधे जुड़े व्यक्तियों को शिक्षण सामग्री, उपकरण एवं शिशु आहार का दान पूर्णतः वर्जित हैं।

5. शिशु आहार के डिब्बे या लेबल पर माँ, शिशु कार्टून या कोई अन्य चित्र होने पर पाबंदी।

शिशु आहार बनाने वाली कंपनियाँ अपने उत्पाद को आदर्श सिद्ध करने हेतु अधिकतर डिब्बे या लेबल पर स्वस्थ माँ एवं शिशु का चित्र, प्रसिद्ध कार्टून, चिड़िया या इससे समानता रखते हुए चित्रों का सहारा लेते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं से जहाँ मातायें आकर्षित होती हैं वहीं उत्पाद की सही जानकारी इन चित्रों के सामने धूमिल हो जाती हैं। इस कानून में डिब्बे या लेबल पर माँ एवं शिशु का चित्र या कोई अन्य चित्र आदि मुद्रित करने की मनाही है।

6. स्वास्थ्य तंत्र में प्रायोजन एवं दुकानों पर प्रदर्शन की पाबंदी।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कंपनियाँ माताओं तक पहुँचने के लिए स्वास्थ्य तंत्र (चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मचारियों, संस्थाओं, केमिस्ट) का सेतु के रुप में उपयोग करती है। इसके फलस्वरूप कंपनियाँ उत्पादो से संबधित गलत, अधूरी एवं भ्रमित करने वाली जानकारी को चिकित्सको के द्वारा माताओं तक पहुँचाना चाहती है जिससे कि मातायें उनके उत्पादो का प्रयोग प्रारंभ कर दे। शिशु आहार एवं शिशु दूध पूरक बनाने वाली कंपनियाँ स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं उनकी समस्याओं की बैठक, गोष्ठी, सेमीनार, शोध अथवा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन को प्रायोजित करने के लिए उत्सुक रहते है साथ ही अस्पताल एवं दवा की दुकानो के नाम पटल को प्रायोजित कर स्वयं के उत्पाद का प्रचार कराना भी इसी रणनीति का हिस्सा है।

इस आई. एम. एस. कानून में स्वास्थ्य तंत्र का निम्न प्रकारों से उपयोग करने पर पूर्ण पाबंदी हैं।

1. अस्पताल या दवाइयों की दुकानों के नाम पटल, पोस्टर या होर्डिंग्स बनाना अथवा इन व्यवासायिक संस्थाओं द्वारा किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन सामग्री का वितरण करना।

2. सभी वर्ग के स्वास्थ्य कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के किसी भी सदस्य को उपहार या धनराशि देना।

3. सेमीनार, गोष्ठियाँ, कॉन्फ्रेंस, शैक्षणिक कोर्स, प्रतियोगिताएँ, शोध या सम्मान समारोह आदि आयोजित करने में मदद देना।

7. कंपनी के कर्मचारियों को बिक्री के आधार पर कमीशन देने पर पाबंदी।

अधिकतर कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को बिक्री बढ़ाने हेतु या तो बिक्री लक्ष्य निर्धारित करते है अथवा बिक्री के आधार पर कमीशन का प्रावधान रखते है।

इस कानून के अंतर्गत कंपनी के किसी भी कर्मचारी को बिक्री के आधार पर कमीशन देने पर पूर्णतः पांबदी है।

कार्य करने हेतु सुझाव–

कपंनियों के आचरण की इस प्रकार निगरानी की जा सकती है।

- कंपनियो के आचरण की निगरानी कर किसी भी प्रकार के उल्लंघन को स्थानीय विधायक, संसद सदस्य को पत्र लिखकर इसकी प्रति राज्य एवं केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रेषित की जा सकती हैं।
- दूरदर्शन अथवा केबिल टी. वी. पर किसी भी प्रकार के उल्लंघन को दिखाने पर स्थानीय केबल आपरेटर को इस नियम बाबत् सूचित कर इसकी प्रति जिला दंडाधिकारी (जिलाधीश), उप जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जा सकती हैं।
- शिशु दूध पूरक, दूध की बोतल एवं शिशु आहार संशोधित नियम 2003 का उल्लंघन करने वाली कपंनी को सूचित करना चाहिए कि वो इस कानून का उल्लंघन कर रही है, उल्लंघन को दर्शाते हुए कंपनी के विरूद्ध प्रचार अभियान भी प्रारंभ किया जा सकता है।

कानून के उल्लंघन की सूचना देने हेतु कुछ महत्वपूर्ण पते–

1. मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग
   'ए'– विंग, शास्त्री भवन
   नई दिल्ली–110001
2. डायरेक्टर जनरल
   स्वास्थ्य मंत्रालय, निर्माण भवन
   नई दिल्ली–110001
3. सुश्री कुसुम मेहदेले
   मंत्री
   महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
   वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
4. श्री प्रशांत मेहता (आई. ए. एस.)
   प्रमुख सचिव
   महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
   वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
5. श्री अनूप मिश्रा
   श्री बृजेन्द्र तिवारी
   श्री ध्यानेन्द्र सिंह
   श्री नारायण सिंह कुशवाह
   श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
   (समस्त विधायकगण, ग्वालियर)
6. श्री राकेश श्रीवास्तव (आई. ए. एस.)
   जिलाधीश, गोरखी
   कलेक्ट्रेट ग्वालियर (म.प्र.)
7. श्री आर. के. जैन
   अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
   कलेक्ट्रेट ग्वालियर (म.प्र.)
8. श्री संजीव शमी (आई. पी. एस.)
   पुलिस अधीक्षक
   पुलिस अधीक्षक कार्यालय
   सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.)